न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 12/444

1. बजरंग लाल पुत्र रामनाथ जाति धाकड निवासी ग्राम बांक्या तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. बंशी लाल पुत्र रामनाथ जाति धाकड निवासी ग्राम बांक्या तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. मूर्ति श्री बडे मथुरेश जी विराजमान पाटनपोल कोटा सदैव नाबालिग जरिये स्थायी संरक्षक अधिकारी टैम्पल बोर्ड, कोटा ।
2. श्री बडे मथुरेश जी टैम्पल बोर्ड पाटनपोल, कोटा जरिये अधिकारी ।

———रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री हेमन्त कृष्ण विजय, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 27.09.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.08.2012 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया किया कि ग्राम बांक्या तहसील दीगोद में आराजी खसरा नम्बर 180 की रकबा 2.16 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि पूर्व में वादी मूर्ति मंदिर की हवाला काश्त में थी । माफी रिज्यूम होने के पश्चात् वादी मूर्ति इस भूमि की खातेदारी कृषक है जो वादी मूर्ति की खातेदारी में दर्ज है । वादग्रस्त आराजी पर वादी की सहमति से प्रतिवादीगण काबिज थे । प्रतिवादी से इस वर्ष अक्षय तृतीय, मई, 2005 को कब्जा छोडने व वादी को कब्जा संभलाने के लिए कहा किन्तु प्रतिवादी ने वादी को कब्जा नहीं संभलाया तथा भूमि पर वादी की बिना स्वीकृति से बतौर अतिक्मी काबिज है । मूर्ति सदैव नाबालिग है मूर्ति की खातेदारी की भूमि मूर्ति के अलावा अन्य किसी भी काबिज व्यक्ति का मूर्ति की ओर से ही काबिज कानूनन माना गया है तथा मूर्ति के मना करने पर उक्त काबिज व्यक्ति को कब्जा लौटाने का दायित्व है ।

3. अतः वाद वादी के पक्ष में ग्राम बांक्या तहसील दीगोद जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 180 की रकबा 2.16 हैक्टर भूमि से प्रतिवादी को बेदखल कर वादी को दखल दिलवाने व नियमानुसार हर्जा दिलवाये जाने हेतु वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध डिक्री पारित की जावे ।

4. प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर वादीगण का वाद खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.08.2012 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार करते हुए प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम खारिज करते हुए वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिये जाने एवं वादग्रस्त आराजी पर वार्षिक लगान का 15 गुना सालाना हर्जाने के रूप में वादीगण को दिये जाने के आदेश पारित किये ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.08.2012 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि बडे मथुरेश टैम्पल बोर्ड की ओर से कोई सक्षम अधिकारी साक्ष्य के लिए अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुआ है । वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अपने वाद को किसी साक्ष्य के माध्यम से किसी प्रकार से सिद्ध नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट के लिए एक व्यक्ति नीवन शर्मा साक्ष्य में उपस्थित हो गया जिसने स्वयं को मूर्ति श्री बडे मुथरेश जी का मुख्तारआम बताया लेकिन उल्लेखनीय है कि सदैव नाबालिग का कोई मुख्तारआम नहीं हो सकता । सदैव नाबालिग के लिए प्रत्येक परिस्थिति में न्यायालय से संरक्षक नियुक्त करवाया जाना आवश्यक है जो नहीं करवाया गया है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभावी होने के समय अपीलान्ट के पूर्वज खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी थे । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 17 के अनुसार गैर खातेदारी अधिकार उत्तराधिकार में दिया जा सकता है और हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है लेकिन उसे खातेदार के समकक्ष ही माना गया है । अपीलान्ट ने हस्तान्तरण कभी भूमि का किया भी नही है । अपीलान्ट तत्कालीन काबिज पूर्वजों के उत्तराधिकारी है और भूमि पर काबिज हैं । किसी भी राजस्व अधिकारी के आदेश के बिना जमाबन्दी में इन्द्राज को परिवर्तित नहीं किया जा सकता । अधिनियम की धारा 15 के अनुसार अधिनियम प्रभावी होने के समय जो व्यक्ति काबिज है उसे खातेदारी देने का प्रावधान था उसी प्रावधान के तहत गैर खातेदारी का अधिकार दिया गया था । हवाला मंदिर मालिक रणछोडलाल आदि से मंदिर मथुराधीश जी का नाम कैसे रिकॉर्ड में आ गया इसका कोई भी सक्षम अधिकारी का आदेश पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.08.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्टगण द्वारा एक दावा वादग्रस्त आराजी के बाबत् पेश किया गया जिसमें अपीलान्ट ने काउन्टर क्लेम पेश किया था । अधीनस्थ न्यायालय

ने त्रुटिपूर्ण रूप से रेस्पोडेन्ट का दावा डिक्री किया है । भूमि मूर्ति मंदिर के खाते की नहीं है। साक्ष्य पेश नहीं की गई है । श्री बडे मथुरेश टैम्पल बोर्ड की ओर से कोई सक्षम अधिकारी साक्ष्य के लिए अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है । एक व्यक्ति नवीन शर्मा नामक साक्ष्य में उपस्थित हो गया जिसने स्वयं को मूर्ति श्री बडे मथुरेश जी का मुख्तारआम बताया लेकिन सदैव नाबालिग का कोई मुख्तारआम नहीं हो सकता । नाबालिग के लिए संरक्षक नियुक्त करवाया जाना आवश्यक होता है जो नहीं करवाया गया है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जब प्रभाव में आया उस समय इस आराजी के अपीलान्ट के पूर्वज खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हो गय थे । इस कारण जमाबन्दी संवत् 2018–21 में अपीलान्ट के पूर्वजों को गैर खातेदार दर्शाया गया है । गैर खातेदारी अधिकार उत्तराधिकार में दिये जा सकते हैं और उसको खातेदार के समक्ष ही माना जाता है । अपीलान्ट ने हस्तान्तरण कभी भी भूमि का नहीं किया है । अपीलान्ट तत्कालीन पूर्वजों के उत्तराधिकारी हैं और भूमि पर काबिज काश्त हैं । संवत् 2018–21 के उपरान्त अपीलान्ट के पूर्वजों को गैर खातेदार के बजाय उपकृषक गलत ढंग से अंकित किया गया । राजस्व अधिकारियों को बिना किसी सक्षम आदेश के जमाबन्दी में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है । धारा 15 के अनुसार अधिनियम प्रभावी होने के समय जो व्यक्ति काबिज था उसे खातेदार देने का प्रावधान था । तनकीयात का निर्णय गलत रूप से किया गया है । संवत् 2018–21 की खसरा गिरदावरी प्रदर्श– 3 में हवाला मंदिर मालिक जाति गोस्वामी श्री 108 रणछोडलाल श्री गिरधलाल अंकित था । हवाला मंदिर से मूर्ति का कोई सम्बन्ध नहीं था बल्कि मंदिर के मालिक का नाम ही खातेदार के रूप में अंकित किया गया था । रणछोडलाल की पहचान के लिए मंदिर मालिक शब्द का प्रयोग किया गया था । राजस्व रिकॉर्ड में मूर्ति मंदिर का नाम अंकित करने के बाबत् किस सक्षम अधिकारी के आदेश नहीं हैं । मूर्ति मंदिर बडे मुथराधीश का नाम बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से आया है । दिनांक 19.02.1939 को रणछोडलाल के द्वारा बख्शीश का पट्टा जारी किया गया था जिसे स्वीकार किया जाना आवश्यक था । इन तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 01.08.2012 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 2000 पेज 14 उद्धरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि आराजी मूर्ति मंदिर के खाते की है । अपीलान्ट को उस पर कब्जा करने का अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद डिक्री किया है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.08.2012 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2061–2064 प्रदर्श– 1 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी मथुराधीश जी बडा मंदिर ठिकाना कोटा के खाते में दर्ज है । इसके अलावा पेश किये गये नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श– पी–1 के अनुसार आराजी हवाला मंदिर के नाम दर्ज है और उसमें जैली रामनाथ का नाम दर्ज है । प्रदर्श– डी–2 में आराजी हवाला मंदिर और गैर खातेदार रामनाथ दर्ज है । प्रदर्श– डी–6 में भी आराजी में हवाला खाता मथुराधीश जी उपकृषक रामनाथ दर्ज है । प्रदर्श– डी–7, डी–8, डी–09 में भी इसी अनुसार इन्द्राज हैं और जो रसीदों की नकल डी–10, डी–11, डी–12 पेश की गई हैं में भी जायदाद मंदिर श्री बडे मथुरेश जी अंकित है । नकल जमाबन्दी संवत् 2007

में भी खातेदार हवाला मंदिर मालिक गोस्वामी 108 श्री रणछोडलाल दर्ज है और जैली के रूप में कुछ व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं । रसीदात प्रदर्श– डी–13 एवं डी–14 में भी गिरधर लाल रणछोडलाल महाराज मालिक मंदिर श्री बडे मथुरेश जी अंकित है ।

11. पत्रावली में वादी की ओर से बयान नवीन शर्मा पीडब्ल्यू–1 कराये गये हैं ।

12. प्रतिवादी की ओर से बयान बजरंगा डीडब्ल्यू–1, साकल चन्द डीडब्ल्यू–2 एवं देवकरण डीडब्ल्यू–3 कराये गये हैं ।

13. इस प्रकार पत्रावली पर जो दस्तावेजात पेश किये गये हैं उसके अनुसार आराजी मंदिर श्री बडे मथुरेश जी की है और उसमें रामनाथ उपकृषक के रूप में दर्ज है और मंदिर की आराजी में यदि कोई उपकृषक दर्ज हो तो उसे खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । आराजी मंदिर के खाते की है । मंदिर शास्वत नाबालिग होते हैं । आराजी के खातेदार मंदिर ही है श्री रणछोडलाल नहीं हैं । आराजी के बेचान के सम्बन्ध में भी कोई दस्तावेजात पत्रावली पर संलग्न नहीं किये गये हैं । मूर्ति मंदिर के खाते की आराजी पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । मूर्ति मंदिर के खाते की आराजी पर यदि कोई काश्त करता है तो उसे मूर्ति मंदिर की ओर से ही काश्त करना माना जाता है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से वादीगण का वाद डिक्री किया है और प्रतिवादी अपीलान्ट का काउन्टर क्लेम खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

14. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट का काउन्टर क्लेम खारिज किया गया है परन्तु अपीलान्ट के द्वारा सिर्फ एक ही अपील पेश की है जबकि काउन्टर क्लेम खारिज होने पर उनके द्वारा उस निर्णय के खिलाफ भी अपील पेश करनी चाहिए थी । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज होने योग्य है ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.08.2012 बहाल रखा जाता है ।

16. निर्णय आज दिनांक 27.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27.9.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 12/444

1. बजरंग लाल पुत्र रामनाथ जाति धाकड निवासी ग्राम बांक्या तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. बंशी लाल पुत्र रामनाथ जाति धाकड निवासी ग्राम बांक्या तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---अपीलार्थी

बनाम

1. मूर्ति श्री बडे मथुरेश जी विराजमान पाटनपोल कोटा सदैव नाबालिग जरिये स्थायी संरक्षक अधिकारी टैम्पल बोर्ड, कोटा ।
2. श्री बडे मथुरेश जी टैम्पल बोर्ड पाटनपोल, कोटा जरिये अधिकारी ।

---प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.08.2012 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एंव कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीगोद जिला कोटा ।

वाद संख्याः 318/दावा/2009

1. मूर्ति श्री बडे मथुरेश जी विराजमान पाटनपोल कोटा सदैव नाबालिग जरिये स्थायी संरक्षक अधिकारी टैम्पल बोर्ड, कोटा ।
2. श्री बडे मथुरेश जी टैम्पल बोर्ड पाटनपोल, कोटा जरिये अधिकारी ।

---वादी

बनाम

1. बजरंग लाल पुत्र रामनाथ जाति धाकड निवासी ग्राम बांक्या तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. बंशी लाल पुत्र रामनाथ जाति धाकड निवासी ग्राम बांक्या तहसील दीगोद जिला कोटा

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.08.2012 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात... कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 27.09.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री हेमन्त कृष्ण विजय एवं श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.08.2012 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 27.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

27/9/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा